स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III   दिनांक: 28–03–2018

सिटिंग नोटिस

विषयः कथित रूप से आपराधिक षड़यंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत्–श्री बी.एस.ठाकुर, सेवा निवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित विभाग म.प्र. शासन, म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश) का दिनांक 29.09.2017 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 17–04–2018 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24615012

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

2. संचालक,
संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,
भोपाल प्रकोष्ठ
खण्ड ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश)

2161-63
28/3/18
ISSUED

प्रतिलिपिः
श्री बी.एस.ठाकुर,म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ://ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777